4809

सं0: /नेडा–एसई–रूफटॉप–फेज़–2/2019
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
दिनॉक: 20,दिसम्बर, 2019

## कार्यालय ज्ञाप

## ग्रिड कनैक्टेड सोलर रूफटाप कार्यकम फेज़–2 के दिशा निर्देश

प्रदेश में ग्रिड कनैक्टेड सोलर रूफटाप कार्यकम एमएनआरई भारत सरकार के तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहयोग से संचालित है। योजना का कियान्वयन एमएनआरई के पत्र संख्या–318/331/2017–ग्रिड कनैक्टेड रूफटाप दिनांक 20.08.2019 द्वारा निर्गत फेज़–2 गाइडलाइन्स के अनुसार किया जाना है जो परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न है। घरेलू क्षेत्र में सोलर रूफटाप संयत्रों की स्थापना हेतु एमएनआरई भारत सरकार द्वारा विभिन्न डिस्कॉम को कुल 60 मेगावाट का लक्ष्य निम्नवत आवंटित किया गया हैः–

| कम सं. | डिस्कॉम | लक्ष्य |
|---|---|---|
| 1 | मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम | 19 मेगावाट |
| 2 | पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम | 10 मेगावाट |
| 3 | पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम | 12 मेगावाट |
| 4 | दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम | 11 मेगावाट |
| 5 | कैस्को | 04 मेगावाट |
| 6 | एन.पी.ई.एल. | 02 मेगावाट |
| 7 | टोरेंट पावर | 02 मेगावाट |
| | **कुल योग** | **60 मेगावाट** |

उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एमएनआरई की गाइडलाइन्स के अनुसार न्यूनतम दरों की प्राप्ति एवं फर्मो के इम्पैनलमेंट किये जाने हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गयी थी। निविदा की विशिष्टियॉ परिशिष्ट 'ख' के रूप में संलग्न है।

निविदा में न्यूनतम दरें निम्नवत अनुमोदित की गयी हैः–

| संयत्र की क्षमता | संयत्र की दर |
|---|---|
| 1 से 10 किलोवाट | रू. 38000.00 प्रति किलोवाट |
| 11 से 100 किलोवाट | रू. 32000.00 प्रति किलोवाट |

एमएनआरई भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुदान की धनराशि 01 से 03 किलोवाट तक के संयत्रों हेतु न्यूनतम दर का 40 प्रतिशत तथा 03 से 10 किलोवाट तक क्षमता के संयत्रों हेतु न्यूनतम दर का 20 प्रतिशत होता है। इस प्रकार 01 से 10 किलोवाट क्षमता हेतु अनुदान की धनराशि निम्नलिखित होगीः–

| क्षमता | केन्द्रीय अनुदान ( रूपये) |
|---|---|
| 1 किलोवाट | 15200 |
| 2 किलोवाट | 30400 |
| 3 किलोवाट | 45600 |
| 4 किलोवाट | 53200 |

| | |
|---|---|
| 5 किलोवाट | 60800 |
| 6 किलोवाट | 68400 |
| 7 किलोवाट | 76000 |
| 8 किलोवाट | 83600 |
| 9 किलोवाट | 91200 |
| 10 किलोवाट | 98800 |

10 किलोवाट से अधिक की क्षमता की स्थापना पर संयत्रों पर अधिकतम अनुदान रू. 98800/–देय होगा।

2. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/रेजीडैंशियल वैलफेयर एसोशिएसन इत्यादि द्वारा निर्मित किये जा रहे संयत्रों में 20 प्रतिशत का अनुदान देय होगा। जिसमें प्रति घर 10 किलोवाट एवं अधिकतम 100 किलोवाट तक प्रति किलोवाट रू. 32000/– की दर से 20 देय होगा।

3. एमएनआरई, भारत सरकार के अनुदान की धनराशि का भुगतान यूपीनेडा के वेबपोर्टल पर इम्पैनल्ड फर्मो से संयंत्र स्थापित कराये जाने पर ही देय होगी, जो कि सीधे संबंधित विद्युत वितरण निगम/यूपीनेडा द्वारा किया जायेगा। अतः उपभोक्ताओं से एमएनआरई अनुदान की धनराशि घटाकर प्राप्त की जायेगी।

4. राज्य अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थीयों के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी जो कि लाभार्थी एवं फर्म द्वारा संयत्रों के 5 वर्ष के अनुरक्षण एवं रख–रखाव का अनुबंध पत्र यूपीनेडा को प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।

5. ऑनलाइन निविदा के माध्यम से प्रथम चरण में चयनित फर्मो को विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–ग) शेष फर्मो के इम्पैनल्ड करने की सूचना अगले चरण में प्रदर्शित की जायेगी।

6. उपभोक्ता द्वारा संयत्रों की स्थापना हेतु आवेदन यूपीनेडा के सोलर रूफटाप ट्रान्जैक्शन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जायेगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन को यूपीनेडा द्वारा एक सप्ताह के अंदर अनुमोदित किया जायेगा। अनुमोदित किये जाने के पश्चात उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से आवेदनकर्ता के पंजीकृत मोबाइल पर स्वतः प्राप्त होगी।

7. आवेदनकर्ता के यूपीनेडा द्वारा अनुमोदन/एसएमएस प्राप्त होने के पश्चात अनुबंधित फर्म में से उपभोक्ता द्वारा अपनी सुविधा अनुसार किसी एक का चयन कर संयत्रों की स्थापना एवं नेटमीटरिंग का कार्य कराते हुये उसकी सूचना अभिलेखों के साथ वेबपोर्टल पर 120 दिनों में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। 120 दिनों में अपलोड न किये जाने पर आवेदन कम्पयूटर द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा एवं उन्हें पुनः आवेदन नये सिरे से करना होगा।

8. संयत्रों की स्थापना की सूचना वेबपोर्टल पर अपलोड किये जाने के पश्चात उसका एसएमएस संबंधित डिस्काम एवं यूपीनेडा के जनपदीय परियोजना अधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा। वे संयत्रों का संयुक्त निरीक्षण प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर कर संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एक सप्ताह में वेबपोर्टल पर अपलोड करेगें। एक सप्ताह में अपलोड न किये जाने पर उसकी सूचना मुख्यालय पर संबंधित कार्यकम अधिकारी को भेजी जायेगी जो अगले एक सप्ताह में संयुक्त निरीक्षण एवं रिर्पोट अपलोड किये जाने की

कार्यवाही सुनिश्चित कराएगें। संयुक्त निरीक्षण एवं अपलोडिंग की अधिकतम समय सीमा 21 दिन होगी।

9. संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट अपलोड होने के पश्चात सूचीबद्ध फर्म को एमएनआरई अनुदान अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही संबंधित डिस्काम/ यूपीनेडा द्वारा की जायेगी। फर्मो को भुगतान एमएनआरई द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा जो प्रथम आवत प्रथम पावत की प्रकिया के अनुरूप होगा। इसका आधार लाभार्थी द्वारा यूपीनेडा के पोर्टल पर अपलोड किये गये JCR तथा फर्म के साथ हस्ताक्षरित 05 वर्षीय ए.एम.सी. के दिनांक एवं समय को माना जायेगा।

10. भारत सरकार के लक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त स्थापित होने वाले संयन्त्रों पर मात्र राज्य सरकार का अनुदान देय होगा।

11. संयत्रों की स्थापना का कार्य एमएनआरई/निविदा में वर्णित विशिष्टीकरणों के अनुरूप की जायेगी। जिसमें मुख्य रूप से स्वदेशी सोलर सेल एवं पैनल का निर्मित होना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन होने पर कोई भी अनुदान देय नही होगा। डिस्कॉम/यूपीनेडा द्वारा, स्थापित संयत्रों का बाद में भी तृतीय पक्ष से तकनीकी परीक्षण कराया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार का मानकों से विचलन पाये जाने पर फर्मो को काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

12. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर निविदा में वर्णित सामान्य विशिष्टियों के अनुरूप है। जो कि अतिरिक्त उच्च स्तर की विशिष्टियों तथा स्थल की आवश्यकता के आधार पर बढ़ सकती है, परन्तु अनुदान की दरों की गणना उक्त न्यूनतम प्राप्त दरों पर की जायेगी।

13. संयत्रों की स्थापना के 5 वर्षो तक अनिवार्य अनुरक्षण एवं रख–रखाव हेतु संबंधित उपभोक्ता के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा, जिसमें स्थानीय सर्विस सेंटर का नाम वर्णित किया जाना अनिवार्य होगा। अनुबंध की प्रति वेबसाइट पर अपलोड होने के पश्चात राज्यानुदान उपभोक्ता के खाते में भेजा जायेगा। अनुबंध के विचलन से उपभोक्ता द्वारा शिकायत किये जाने पर नियमानुसार संबंधित फर्मो पर कार्यवाही करते हुये काली सूची में डाल दिया जायेगा।

( अनिल कुमार )
सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी,
यूपीनेडा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/ पश्चिमान्चल/ दक्षिणान्चल/ कैस्को/एन.पी.ई.एल./ टोरेंट पावर विद्युत वितरण निगम,लिमिटेड।
3. परियोजना अधिकारी यूपीनेडा लखनऊ।
4. समस्त संबंधित अनुमोदित फर्में।

( अनिल कुमार )
सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी,
यूपीनेडा।